

20.6.17

निम्नलिखित नामों पर  
आज अदालत के कार्यालय में  
पेश हुआ। पक्षकारों के अधीन  
उपरोक्त। पक्षकारों के अधीन  
आम काया है। पक्षकारों के अधीन  
पक्षकारों के अधीन।

6.7.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत इलाहाबाद  
2017 "पक्षकारों के अधीन" केस कोर्ट अदालत  
केस के अधीन उपरोक्त पर रखने से आज  
पेश हुई मूल वाद में पक्षकारों के अधीन  
कर लेने के अधीन है। पक्षकारों के अधीन  
राजीनामा हो गया है। कार्यवाही नहीं पाई  
है जिससे एवं मूल वाद का निराकरण  
हो जाने से पत्रावली में कार्यवाही  
व्यय में जाकर पत्रावली खारीज  
बिना जाकर है। पत्रावली फैसला शुभान  
केस का नाम से कर है। निर्णय  
एकले न्यायालय में सुनाया गया।

मेजरलाल  
शर्मा



सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
जिला-राजसमन्द